



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-14.05.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट मे पंजीकृत गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1191/2017, मु.नं. – 54/18 धारा 308/34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- सुनील कुमार पटेल उर्फ राजा पुत्र स्व. छन्नू लाल निवासी- बनवारीपुर थाना चोलापुर, वाराणसी 2- राजेश कुमार यादव पुत्र बचऊलाल यादव उर्फ बचाऊ निवासी ऐढ़े थाना कैण्ट, वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 14.05.2025 को माननीय न्यायालय ADJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को अंतर्गत धारा 308/34 भादवि के अपराध में 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।